## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री दीपक ट्रेडिंग कम्पनी, इगलास रोड, हाथरस ।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक | **004 / 10, 04.01.2010** |
| प्रार्थी की ओर से | **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री दीपक ट्रेडिंग कम्पनी, इगलास रोड, हाथरस द्वारा दिनांक 04.01.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' ककड़ी, खीरा, खरबूजा एवं तरबूजा के बीज '' पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 28.05.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या-4371, दिनांक 04.02.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I के क्रमांक-34 पर All seeds including seeds of oilseed की प्रविष्टि अंकित है । ककड़ी, खीरा, खरबूजा एवं तरबूजा के बीज भी All seeds के अन्तर्गत आते हैं । अत: यदि व्यापारी द्वारा ककड़ी, खीरा, खरबूजा एवं तरबूजा के बीज को '' **बीज** '' के रूप में बेचे जाते हैं तो वह करमुक्त रहेगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-34 पर '' All seeds including seeds of oilseed '' की प्रविष्टि है । Wikipedia में Seed की परिभाषा निम्न प्रकार दी गयी है :-

A **seed** is an embryonic plant enclosed in a protective outer covering called the seed coat, usually with some stored food. It is a characteristic of spermatophytes (gymnosperm and angiosperm plants) and the product of the ripened ovule which occurs after fertilization and some growth within the mother plant.

इस प्रकार यदि प्रार्थी द्वारा ककड़ी, खीरा, खरबूजे एवं तरबूजे के बीज को बिना प्रसंस्करण के, outer covering तथा पौधा उत्पादित करने की क्षमतायुक्त बीज की बिक्री किया जाता है तो ऐसा '' बीज '' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के अन्तर्गत करमुक्त होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I के क्रमांक-34 पर अंकित प्रविष्टि '' All seeds including seeds of oilseed '' के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा वर्णित ककड़ी, खीरा, खरबूजा एवं तरबूजा के seeds भी

.....2

आच्छादित हैं । यदि उक्त फलों के seed की बिक्री बिना प्रोसेसिंग तथा बीज को सुरक्षित रखने वाले outer covering के साथ पौधा उत्पादित करने वाले बीज के रूप में की जाती है तो ऐसे '' बीज '' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के अन्तर्गत करमुक्त होंगे ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 13 जून, 2014

ह0 / 13.06.2014

**(मृत्युंजय कुमार नारायण)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।